

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ/31/2006/

449

भोपाल, दिनांक 15-3-07

//आदेश//

शिक्षक/प्रधान अध्यापक मा.वि. पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार पूर्व में नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति से वंचित रहे (छूटे हुए पदोन्नति प्रकरणों के संदर्भ में) निम्नांकित शिक्षकों/प्रधान अध्यापकों को व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर वेतनमान रु. 5500-175-9000 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थापन्न रूप से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शित संस्था में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	शिक्षक संवर्ग की वरि. दिनांक	प्रधान अध्या./शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	प्रवर्ग	विषय	पदांकित संस्था	वरिष्ठता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	13/08/68	श्रीमती चन्द्रप्रभा तिवारी, प्र.अ. शा.मा.शा.क्रमांक 2 मंडला	सामान्य	अर्थशास्त्र	शा.उमावि. बालक बरघाट सिवनी	29.08.05
2.	18/12/70	श्री एन.एस.पटेल, प्र.अ. शा.मा.शा. वाडरवास नरसिंहपुर	सामान्य	अर्थशास्त्र	शा.उ.मा.वि. हरई, नरसिंहपुर	29.08.05
3.	22/10/71	श्री केदार प्रसाद पटेल, प्र.अ. शामाशा बी.टी.आई नरसिंहपुर	सामान्य	इतिहास	शा.हाईस्कूल कन्या विचली नरसिंहपुर	29.08.05
4.	26/09/72	श्रीमती सुषमा रस्तोगी, शिक्षक शा.एम.एल.बी.क.उ.मा.वि. मुरार, ग्वालियर	सामान्य	हिन्दी	शा.एम.एल.बी.क.उ.मा.वि. मुरार, ग्वालियर	29.08.05
5.	09/12/72	श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव, प्र.अ. शा.मा.शा. रानी अवन्ती मंडला	सामान्य	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. कन्या कंटगी जबलपुर	29.08.05
6.	01/10/73	श्री नरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक शा हाईस्कूल मैसानाका सागर	सामान्य	संस्कृत	प्राचार्य शा. हाईस्कूल केवलारीकला, सागर	29.08.05
7.	31/03/81	श्री श्रीनाथ मिश्र, प्र.अ. शा.मा. शाला पुरवा कन्या नई गढ़ी रीवा	सामान्य	भूगोल	शा.उ.मा.वि. खड़ी जिला सीधी	29.08.05
8.	12/11/81	श्री दिलीप सिंह ठाकुर, प्र.अ. शा.मा.शा.नयागांव नरसिंहपुर	अजजा	अर्थशास्त्र	शा.उ.मा.वि. गोटेगांव नरसिंहपुर	26.09.03
9.	02/07/85	श्री कैलाश नारायण सक्सेना, प्र.अ. शा हाईस्कूल तेलीगांव गुना	सामान्य	भूगोल	प्राचार्य शा.हाईस्कूल तेलीगांव गुना	29.08.05
10.	05/07/85	श्रीमती नीलेश यादव, प्र.अ. शा.बा.मा.वि मोहना, ग्वालियर	सामान्य	भूगोल	शा.उ.मा.वि. हरिदर्शन ग्वालियर	29.08.05
11.	12/08/85	श्री सुखानंद जैन, प्र.अ. शा.मा. विद्या. क्रमांक.1 पुरानी शिवपुरी	सामान्य	गणित	प्राचार्य शा.हाईस्कूल सिरसोद शिवपुरी	29.08.05
12.	30/10/85	श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, प्र.अ. शा.मा.शा.बगरोदा मिसरोद भोपाल	सामान्य	गणित	प्राचार्य शा.हाई स्कूल, साईखेड़ा, रायसेन	29.08.05
13.	29/01/86	श्रीमती मीना श्रीवास्तव, शिक्षक शा.नूतन हाईस्कूल देवास	सामान्य	भूगोल	शा.उ.मा.वि. कन्नौद देवास	29.08.05

(Signature)

14.	01/02/86	श्रीमती मेहरुन्निसा सिद्दीकी, शि. शा.क.उ.मा.वि जहांगीराबाद भोपाल	सामान्य	उर्दू	प्राचार्य शा. हाईस्कूल सरदारनगर बुधनी, सीहोर	23.06.04
15.	01/07/86	श्री सुरेश प्रसाद सोनी, शिक्षक शा.उ.मा.वि मार्तण्ड क्र.2 रीवा	सामान्य	भूगोल	शा.उ.मा.वि. लालगांव रीवा	29.08.05
16.	17/11/86	श्री बट्टी प्रसाद दुबे, प्र.अ. शा.बहु.उ.मा.वि.हटा दमोह	सामान्य	जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. पुरा बेरागढ़ दमोह	29.08.05
17.	24/11/86	श्री प्रेम नारायण चौरसिया, शिक्षक शा.हाईस्कूल बरोदा रेहली सागर	सामान्य	गणित	प्राचार्य शा.हाईस्कूल मैसा भीष्मनगर, सागर	29.08.05
18.	29/11/86	श्री जी.पी.मुडिया, शिक्षक शा.उ.मा.वि. बरहटा नरसिंहपुर	अजा	इतिहास	प्राचार्य शा.हाईस्कूल बिलहरा, नरसिंहपुर	29.08.05
19.	19/12/86	श्री कमल नारयण सिंह, प्र.अ. मा.शा. मनकहरी रीवा	सामान्य	गणित	प्राचार्य शा.हाईस्कूल कंचनपुर, जवा, रीवा	29.08.05
20.	24/12/86	श्री चन्द्रकान्त पालीवाल, प्र.अ. मा.शा. बडुद खरगोन	सामान्य	गणित	शा.स.उ.मा.वि.गांधीनगर इंदौर	29.08.05
21.	10/02/87	श्री संतोष कुमार नीरज, शिक्षक, शा.उ.मा.वि. मार्तण्ड क्र. 3 रीवा	अजा	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. रायपुर कर्चुलियान रीवा	29.08.05
22.	14/10/89	श्री धनपती प्रसाद प्रजापति, प्र.अ. शा.मा.शा. अमो सीधी	अजा	भूगोल	शा.क.उ.मा.वि. पोखरा सीधी	29.08.05
23.	11/02/91	श्री दिवले प्रसाद सूत्रकार, प्र.अ. शा. मा.शा. चौमो टीकमगढ़	अजा	हिन्दी	प्राचार्य शा.हाईस्कूल सुजानपुरा, टीकमगढ़	29.08.05
24.	27/04/92	श्रीमती सुनीता पठारिया, प्र.पा. शा.स.क.उ.मा.वि.गाडरवारा नरसिंहपुर	अजा	हिन्दी	शा.उ.मा.वि.घिचली, नरसिंहपुर	29.08.05
25.	04/08/92	श्री यू.एस.अहिरवार, प्र.पा. उमरिया श्रीनगर नरसिंहपुर	अजा	हिन्दी	प्राचार्य शा.हाईस्कूल इमलिया नरसिंहपुर	29.08.05
26.	07/08/93	श्री मोनीस कारलो, प्र.अ. शा.क.मा.वि.शा.गौरझामर सागर	अजजा	इतिहास	शा.उ.मा.वि. सिहोरा, सागर	29.08.05
27.	09/07/93	श्री जे.आर.बरेलिया, प्र.अ. शा. मा.वि.क्रमांक-2 ग्वालियर	अजा	अंग्रेजी	शा.बा.उ.मा.वि. लहार भिण्ड	29.08.05
28.	30/06/95	श्री रामनरेश कोल, प्र.अ., शा.मा.वि अंदवा सितलहा, रीवा	अजजा	भूगोल	शा.उ.मा.वि. गोविन्दगढ़ रीवा	29.08.05
29.	29/12/95	श्री नारायण दास अहिरवार, प्र.अ. मा.शा. लिधौरा टीकमगढ़	अजा	अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. तरौचरकला टीकमगढ़	29.08.05
30.	26/04/97	श्री किरण सिंह भिलाला, प्र.अ. शा. मा. शा. भ्याना राजगढ़	अजजा	भूगोल	प्राचार्य शा.हाईस्कूल भ्याना राजगढ़	29.08.05

2/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पदोन्नत होने वाले शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवही या ऐसी शास्ति जो उनकी पदोन्नति पर प्रभाव डालती हो तो नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उन्हें पदोन्नत पद के लाभ हेतु भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को वस्तुस्थिति के साथ अपने अभिमत सहित तत्काल अवगत करावें।




1. निज सचिव ,मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग ,म.प्र. शासन ,भोपाल।
2. निज सचिव ,मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग ,म.प्र. शासन ,भोपाल।
3. प्रमुख सचिव ,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ,भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ,म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा जिला म.प्र. की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि :-

(अ) उपरोक्तानुसार पदोन्नत शिक्षकों को पदांकित संस्था में कार्यमुक्त करने के पूर्व आदेश में अंकित शर्तों की पुष्टि एवं सत्यापन पदोन्नत आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर करने के उपरांत ही संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त करें। आदेश में उल्लेखित शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति पाये जाने पर अभिलेखीय साक्ष्य सहित संबंधित की पदोन्नति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव अपने अभिमत सहित पदोन्नति आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से अधोक्षतरहर्ता के नाम से भेजे।

(ब) पदोन्नत व्याख्याता के पदांकित संस्था में विषयमान से/प्रभारी प्राचार्य,शास. हाईस्कूल में पद रिक्त न होने की स्थिति में पदोन्नत व्याख्याता अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे। इसके पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी रिक्त पद के मान से इनके पदांकन में संशोधन हेतु समुचित प्रस्ताव तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की समयसीमा 15 दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से संचालनालय में भेजे।


(स) उपरोक्त पदोन्नत व्याख्याताओं के नाम अथवा उनके समक्ष उल्लेखित संस्था में त्रुटि हो तो जिला शिक्षा अधिकारी इसके संशोधन का प्रस्ताव 15 दिवस की समयवधि में संचालनालय को भेजे। उपरोक्त निर्देशों का पालन करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. संबंधित संस्था प्रमुख की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति पश्चात् संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त किये गये पदोन्नत व्यक्ति को ही संस्था में निर्धारित समयवधि में कार्यभार ग्रहण कराकर इसकी सूचना तत्काल संचालनालय में भेजे।
8. समस्त संबंधित शिक्षक/प्रधान अध्यापक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में अंकित शर्तों की पुष्टि के उपरांत जैसे ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा आपको पदोन्नति पश्चात् पदांकित संस्था हेतु भारमुक्त किया जाता है आप दिनांक 16 अप्रैल 2007 के पूर्व अनिवार्यतः पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा आपका पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।


आयुक्त लोक शिक्षण

मध्यप्रदेश

- 3/ पदोन्नत व्याख्याता के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि जिस विषय में व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया है उस विषय में संबंधित द्वारा विभागीय अनुमति प्राप्त कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी है, जिस वर्ग से पदोन्नत हुआ है उसी प्रवर्ग का सदस्य है साथ ही उनके नाम के सामने जो वरिष्ठता दिनांक दर्शित है उसी वरिष्ठता दिनांक के बाद के तो नहीं है।
- 4/ पदोन्नत व्याख्याता के सेवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि कर ली जायें कि वे सभी शिक्षक पद पर ही कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति उच्च श्रेणी शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई हैं। अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबंध नहीं है।
- 5/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं द्वारा संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा वर्ष 2005 तक अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो (सरल क्रमांक 8 एवं 14 को छोड़कर) तभी उन्हें व्याख्याता पद की पत्र वरीयता उनसे कनिष्ठ शिक्षकों के पदोन्नति आदेश दिनांक 29.08.2005 से "काम नहीं दाम नहीं" के सिद्धांत अनुसार देय होकर पदोन्नति मान्य होगी। व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ उनके द्वारा व्याख्याता पद पर कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा।
- 6/ पदोन्नत व्याख्याता के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही शिक्षक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि से अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण/जिन शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ हो उन शिक्षकों की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत शिक्षक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को भेजा जावे।
- 7/ पदोन्नत व्याख्याताओं में से यदि कोई व्याख्याता की पदोन्नति वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 में होना पाई जाती है तो ऐसे व्याख्याताओं को नवीन पदोन्नत स्थल पर कार्य भार ग्रहण करने हेतु कार्य मुक्त नहीं किया जाकर विधिवत् तत्काल संचालनालय को अवगत कराये।
- 8/ पदोन्नत व्याख्याताओं को जिले में ही पदस्थापना की दृष्टि एवं प्राचार्य हाईस्कूल में रिक्त पदों की पूर्ति के उद्देश्य से व्याख्याता संवर्ग में समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में ही पदांकित किया गया है।
- 9/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 16 अप्रैल 2007 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10/ पदोन्नति समिति द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश